कार्यालय निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,उ0प्र0, विनीत खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ।

संख्याः–जे0टी0आर0आई0 / 1100 　　　　　　　　　　दिनांक / जुलाई, 2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में इमारती व जलौनी लकड़ी की नीलामी दिनांक 17.07.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे होनी हैं। इच्छुक बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया की शर्ते निम्नवत हैं:–

1. यह कि इमारती व जलौनी लकड़ी की न्यूनतम बोली नीलामी के दिन नीलामी से पूर्व निर्धारित की जायेगी। ~~[illegible]~~ नीलामी की बोली उससे कम नहीं होगी।
2. नीलामी के लिए इच्छुक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व रू0 5000.00 की धनराशि जमा करनी होगी।
3. लकड़ी को देखने का समय किसी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य है।
4. नीलामी अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार होगी किन्तु नीलामी अधिकारी उच्चतम बोली या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
5. प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित है लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता।
7. जहॉ जैसे हैं की शर्त पर लकड़ी का विक्रय किया जायेगा।
8. नीलामी अधिकारी यदि यह समझता है कि बोली लगाने वाले लोग समूह गठित कर रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप नीलामी में प्रस्तावित सामान के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त किया जा सकेगा तो वह नीलामी को स्थगित कर सकेगा।
9. बोली के अंतिम होते ही सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि तत्काल नकद जमा करना अनिवार्य है।
10. यदि सफल बोलीदाता तत्काल धनराशि जमा करने असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

11. पूर्ण भुगतान के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा नीलाम की गयी वस्तु बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में वस्तु को परिसर से उठाया जा सकेगा।
13. भुगतान हो जाने के बाद उसी दिन माल उठाना आवश्यक होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा माल स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा।
14. समस्त करों की देयता क्रेता की होगी।
15. विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागाध्यक्ष/सचिव द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा पंचाट किया जाएगा जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
16. बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली के प्रतिभागियों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे निर्धारित शर्तो एवं निबन्धनों को यथावत् स्वीकार करते हैं।
17. किसी मुकदमे की स्थिति उत्पन्न होने पर वाद संस्थित करने के लिए क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

(राम नगीना यादव)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)
अध्यक्ष, क्रय/निष्प्रयोज्य समिति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. संस्थान के नोटिस बोर्ड/बेवसाइट हेतु।
2. अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
3. सूचना विभाग।
4. सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर चशपा की जाय।

01/8/2016

(राम नगीना यादव)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)
अध्यक्ष, क्रय/निष्प्रयोज्य समिति